न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

वाद संख्या :– 02/02/2012

<u>बिरदा बनाम सरकार</u>
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 03.01.2012 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 30/1.31 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रथम दृष्टया प्रार्थी की खातेदारी साबिक व हाल रिकॉर्ड में साबित नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश किया है जो काबिज स्वीकार नहीं है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 30/1.31 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)